फोन न0 0612–2219545 (का0)
फैक्स न0–0612–2218900
Email : dampatnaarmssection@gmail.com
dm-patna.bih@nic.in

समाहरणालय, पटना।

(शस्त्र शाखा)

–: आदेश :–

10.2.2014

आवेदक **श्री महताब आलम,** पिता–मो0 वशी, सा0–बिहारी साव लेन, पो0–बाँकीपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना से प्राप्त एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र पर शस्त्र अनुज्ञप्ति वाद संख्या–09–354/2013 कायम करते हुए वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से जाँच/सत्यापन प्रतिवेदन की माँग की गई।

वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना के पत्रांक–1346/गो0, दिनांक–22.09.2013 द्वारा आवेदक के शस्त्र अनुज्ञप्ति आवेदन पत्र को जाँचोपरान्त बिना अनुशंसा के मूल में अग्रसारित कर भेजा गया है। अनुमण्डल पुलिस पदाधिकारी, नगर, पटना द्वारा थानाध्यक्ष, पीरबहोर के अग्रसारण के आलोक में आग्नेयास्त्र अनुज्ञप्ति हेतु प्राप्त आवेदन को बिना अनुशंसा के अग्रसारित कर मूल आवेदन के साथ संलग्न कर भेजा गया है। थानाध्यक्ष, पीरबहोर द्वारा प्रतिवेदित किया गया है कि वे ठीकेदार हैं। तदोपरान्त आवेदक के जान–माल के सुरक्षार्थ शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु अनुरोध किया गया है, लेकिन आवेदक को विशेष सुरक्षा भय होने के संबंध में 'नहीं' प्रतिवेदित किया गया है। थानाध्यक्ष द्वारा जाँच प्रतिवेदन की कंडिका–10 के सभी बिन्दुओं पर 'नहीं' प्रतिवेदित करने के साथ ही आवेदक को शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत करने हेतु कोई कारण नहीं है। तदोपरान्त शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत नहीं करने की अनुशंसा की गई है।

अभिलेख पर संधारित कागजातों का सूक्ष्मतापूर्वक परिशीलन किया गया। शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13 (2) के तहत प्राप्त पुलिस प्रतिवेदन, आवेदक के आवेदन एवं अभिलेख पर संधारित कागजातों के सूक्ष्मता पूर्वक अवलोकन के पश्चात अधोहस्ताक्षरी इस निष्कर्ष पर पहुँचा हैं कि आवेदक को सुरक्षा के बिन्दु पर कोई विशेष सुरक्षा भय/खतरा नहीं है तथा उन्हें एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल हेतु शस्त्र अनुज्ञप्ति निर्गत किए जाने का कोई यथेष्ट कारण नहीं है।

शस्त्र अधिनियम 1959 की धारा 13, शस्त्र नियम 1962 में निहित शक्तियों एवं वरीय पुलिस अधीक्षक, पटना से प्राप्त प्रतिवेदन के आलोक में सम्यक विचारोपरान्त श्री महताब आलम पिता–मो0 वशी, सा0–बिहारी साव लेन, पो0–बाँकीपुर, थाना–पीरबहोर, जिला–पटना के आवेदित एक एन0पी0बोर रिवाल्वर/पिस्टल अनुज्ञप्ति आवेदन–पत्र को **अस्वीकृत** किया जाता है।

वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं **संशोधित।**

जिला दण्डाधिकारी,
पटना।

जिला दण्डाधिकारी
पटना।